

तारीख
हुसग

हुसग चा कार्यावाही मग इमिग्रेशनला पत्र

माघर च तारीख
आहकार जो मग
सागीर में जारी

गमा। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा उक्त वादपत्र प्राथमिक कतबों के आधार पर उद्घोषणा का पेश किया गया। जिसमें वादी को स्वयं सिद्ध करना है कि वादी का उक्त विवादित भूखे पर कब्जा है या नहीं। कतबों के सम्बन्ध में तहसीलदार से रिपोर्ट को माध्यम एकत्रित करने की शर्तों में आता है। गौका कमिश्नर से कतबों के अभाव की ई अन्य सिद्ध को स्पष्ट कतबों हेतु रिपोर्ट लिए जाने की आवश्यकता वादी ने अपने प्राथमिक में उल्लेख नहीं किया है। तहसीलदार खण्डार के माध्यम से उद्घोषणा वादपत्र में कब्जा रिपोर्ट लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वादी का प्राथमिक आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। वास्तु बहल हेतु पत्रावली दिनांक 8/5/26 को पेश है।

8/5/26

वकील वादी उपर ~~बहल हेतु पत्रावली दिनांक~~
12/5/26 को पेश है।

12/5/26

वकील वादी उपर नहीं। वादी को बार-बार आवाज लगाते पर भी कोई उपर नहीं। पत्रावली अदम पेंवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फलतश्कार उक्त नम्बर से कम है।



सुपरीमाद
खण्डार (संवीध गांधीपुर)